कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश

प्रगति भवन तृतीय तल, एम.पी.नगर, जोन–1, भोपाल (म0प्र0)

दूरभाष 0755-2674248, 2674318 फैक्स 0755-2766315 E-mail—pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक / संरक्षण / बाघ / 2019–3 / 4982 भोपाल,दिनांक 24/8/2021

प्रति,

1 समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
2 समस्त क्षेत्र संचालक, टाइगर रिजर्व
3 समस्त क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक, वन विकास निगम
मध्यप्रदेश।

विषय :– कार्यक्षेत्र के बाहर वन्यप्राणी अपराध की सूचना पर कार्यवाही के संबंध में।

उपरोक्त विषयांर्तगत लेख है कि विगत् दिनों में कुछ घटनाये वन्यप्राणी अपराध संबंधी प्रकाश में आई जिसमें किसी वनमंडल के द्वारा किसी अन्य वनमंडल / टाइगर रिजर्व / वन विकास निगम के कार्यक्षेत्र में जाकर वन्यप्राणी अपराध संबंधी सूचना पर कार्यवाही कर, वन्यप्राणियों के अवयवों की जप्ती की गई व कुछ आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया तथा उपरोक्त कार्यवाही के उपरांत प्रकरण दर्ज हेतु स्थानीय वनपरिक्षेत्र / वनमण्डल से सम्पर्क किया गया। इस दौरान समन्वय की कमी से असमंजस की स्थिति उत्पन्न्न हुई, तथा तकनीकी रूप से भी न्यायालयीन कार्यवाही में इस तरह के प्रकरणों में विभाग का पक्ष कमजोर होने की संभावना बनी रहती है क्योकि घटना स्थल की अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में ही प्रकरण पेश किये जाते हैं।

अतः उपरोक्त परिस्थिति की पुनरावृत्ती भविष्य में न हो इस हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जावें :–

अ) प्रकरण दर्ज करने से पूर्व–

1. वन्यप्राणी अपराध संबंधी मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारियों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र को ध्यान में रखकर योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगे, यदि कार्यक्षेत्र के बाहर अपराध का घटना स्थल / अवैध व्यापार / परिवहन होना प्रतीत होता है तथा कार्यवाही उपरांत प्रकरण दर्ज का स्थल कार्यक्षेत्र के बाहर होने की सम्भावना हो तब उक्त परिस्थिति में उसका आंकलन कर, उक्त क्षेत्र के वनमंडल अधिकारी / मुख्य वन संरक्षक को उक्त गुप्त सूचना हस्तांतरित कर देवे।
2. केन्द्र शासन / राज्य शासन के द्वारा संगठित एवं गंभीर वन्यप्राणी अपराध प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो मध्यक्षेत्र जबलपुर, राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स भोपाल तथा एसटीएफ पुलिस भोपाल का गठन किया गया है। जिनका कार्यक्षेत्र संपूर्ण राज्य है। वन्यप्राणी अपराध संबंधी उक्त गुप्त सूचना को गंभीरता के आधार पर उपरोक्त किसी भी एजेन्सी के सक्षम अधिकारी को हस्तांतरित कर देवे।
3. यदि किसी विशेष परिस्थिति में कार्य क्षेत्र के बाहर जाकर कार्यवाही करना पड़ रहा हो, तब वनमण्डल में कार्यवाही के पूर्व ही वहॉ के वनमण्डल अधिकारी को सूचित करें ताकि प्रकरण की गम्भीरता एवं गोपनीयता को ध्यान में रखकर उनके द्वारा आवश्यक तैयारी समय रहते की जा सकें तथा अनिवार्य रूप से वहॉ अधिकारी / कर्मचारी को साथ रखे। ताकि प्रकरण दर्ज करते समय उन्हें भी घटना के संबंध में जानकारी हो व प्रकरण की अग्रिम विवेचना सटीक होकर, न्यायालय में शासन / विभाग का पक्ष मजबूती से रखा जा सकें।

ब) प्रकरण दर्ज करने के पश्चात्– (राज्य के भीतर)

1. जब प्रकरण अपने कार्यक्षेत्र में दर्ज हो चुका हो तथा उसकी अग्रिम विवेचना / अन्वेषण कार्य हेतु किसी अन्य के कार्यक्षेत्र में जाकर की जाने वाली कार्यवाही के समय भी वहॉ के वनमंडल अधिकारी / सक्षम अधिकारी को सूचित कर क्षेत्रीय अधिकारियों का साथ लेकर कार्यवाही करे तथा संयुक्त कार्यवाही के उपरांत विधि अनुसार जप्तीनामा, पंचनामा आदि संबंधित दस्तावेजों में स्थानीय अधिकारियों / कर्मचारियों के हस्ताक्षर लिये जावें।